सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 28, बुधवार, *शाके* 1944-जनवरी 18, 2023

Pausa 28, Wednesday , Saka 1944- January 18, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, दिसम्बर 8, 2022

एस.ओ.128 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-23 दिनांक 14.11.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[सं. एफ. 2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-23]
राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,
संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 14, 2022

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं.9) की धारा 18 द्ववारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी उद्यम द्ववारा धारित 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर संदेय भूमि कर का, ऐसे उद्यम के पक्ष में राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2022 के अधीन समुचित प्राधिकारी/समिति द्ववारा उक्तस्कीम के अधीन जारी हकदारी प्रमाणपत्र की तारीख से सात वर्ष की कालावधि के लिए, इस शर्त पर परिहार किया जाएगा कि स्कीम में वर्णित शर्तों में से किसी के भंग के मामले में इस अधिसूचना के अधीन परिहार की गयी भूमि कर की रकम स्कीम के उपबंधों के अनुसार ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

[सं. एफ. 2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-23]
राज्यपाल के आदेश से,
नम्रता वृष्णि,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.